भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2770

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता

2770 **श्री एंटो एन्टोनी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत प्रस्तावित प्रमुख बदलावों या प्रतिबद्धताओं का क्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई प्रभाव या जोखिम मूल्यांकन किया है जो भारत-यूरोपीय संघ एफटीए के कार्यान्वयन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त घरेलू क्षेत्रों के लिए कोई सुधारात्मक या शमन उपाय प्रस्तावित हैं जिनके प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से व्यापार, निवेश, रोजगार और बाजार पहुंच के संदर्भ में भारत के लिए अपेक्षित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने दिनांक 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की। यह समझौता वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यापक बाजार पहुंच और आधुनिक व्यापार नियमों का प्रावधान करता है। भारत ने ईयू टैरिफ लाइनों के 97% पर अधिमान्य बाजार पहुंच प्राप्त कर ली है, जो व्यापार मूल्य के हिसाब से भारत के 99.5% निर्यात को कवर करती है। इनमें से, 70.4% टैरिफ लाइनें, जो भारत के निर्यात के 90.7% का प्रतिनिधित्व करती हैं, एफटीए के लागू होने की तारीख से शून्य शुल्क पर ईयू बाजार में प्रवेश करेंगी, जिससे विशेष रूप से वस्त्र और परिधान, समुद्री उत्पाद, चमड़ा और जूते, रसायन, प्लास्टिक और रबर, खेल सामग्री, खिलौने और रत्न और आभूषण जैसे प्रमुख श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ होगा। भारत के निर्यात के 2.9% हिस्से को कवर

करने वाली 20.3% टैरिफ लाइनों पर 3-5 वर्षों की अवधि में शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि निर्यात के 6% हिस्से को कवर करने वाली 6.1% टैरिफ लाइनों को शुल्क कटौती या टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के माध्यम से अधिमान्य पहुंच प्राप्त होगी। दूसरी ओर, भारत ने अपनी 92.1% टैरिफ लाइनों पर शुल्क में छूट की पेशकश की है, जो भारत को यूरोपीय संघ के निर्यात के 97.5% हिस्से को कवर करती हैं। इनमें से 49.6% टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क समाप्ति और एक बड़े हिस्से पर 5-10 वर्षों में चरणबद्ध कटौती की पेशकश की गई है, साथ ही घरेलू प्राथमिकताओं के अनुरूप संवेदनशील क्षेत्रों के लिए संतुलित व्यवहार बनाए रखा गया है।

(ख) मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभाव का आकलन एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्तावित एफटीए की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए आमतौर पर एक संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) का गठन किया जाता है, जिसमें घरेलू उद्योग, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों पर उनके प्रभाव का अध्ययन भी शामिल है। उद्योग प्रतिनिधियों, शीर्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, उद्योग संघों के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों सहित हितधारकों से समय-समय पर परामर्श किया जाता है। वाणिज्य विभाग (डीओसी) के अंतर्गत एफटीए निगरानी समिति रोजगार और औद्योगिक विकास पर नियमित उद्योग प्रतिक्रिया के माध्यम से एफटीए के प्रभाव की निगरानी करती है। इससे आयात संबंधी मुद्दों जैसे नियम उल्लंघन और अनुचित व्यापार पद्धतियों, साथ ही निर्यात संबंधी चुनौतियों जैसे एफटीए का कम उपयोग और गैर-व्यापार बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, डीओसी समीक्षा के लिए और भविष्य की वार्ताओं को दिशा देने के लिए आवश्यकतानुसार एफटीए मूल्यांकन अध्ययन करता है।

(ग) इस समझौते में घरेलू क्षेत्रों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए अंतर्निहित उपाय शामिल हैं। डेयरी, अनाज, मुर्गी पालन, सोया आटा, कुछ फल और सब्जियां आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को निर्यात अवसरों और घरेलू प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखते हुए उचित रूप से सुरक्षित किया गया है। टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि चिन्हित उत्पादों के लिए चरणबद्ध उन्मूलन की अवधि 10 वर्षों तक बढ़ाई जा सके और चुनिंदा वस्तुओं के लिए टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुरूप आवश्यक लचीलापन प्रदान करते हुए पर्याप्त घरेलू मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर) पर सहमति बनी है। यह समझौता व्यापार संबंधी उपचारों का भी प्रावधान करता है, जिसमें टैरिफ उदारीकरण के कारण आयात में वृद्धि होने की

स्थिति में द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जिसके कारण घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचता है या नुकसान पहुंचने का खतरा होता है।

(घ) भारत ने व्यापार मूल्य के हिसाब से यूरोपीय संघ को होने वाले अपने 99% से अधिक निर्यात के लिए अभूतपूर्व बाज़ार पहुँच हासिल कर ली है। इसमें से भारत के 90.7% निर्यात यूरोपीय संघ के बाज़ार में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लागू होते ही शून्य शुल्क पर प्रवेश करेंगे। विशेष रूप से, 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के निर्यात, जो प्रमुख श्रम-प्रधान क्षेत्रों (जैसे वस्त्र, परिधान, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, रसायन, प्लास्टिक/रबर, खेल सामग्री, खिलौने, रत्न और आभूषण) में होते हैं और जिन पर वर्तमान में यूरोपीय संघ में 4% से 26% तक आयात शुल्क लगता है और जो रोज़गार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं, एफटीए के लागू होते ही शून्य शुल्क पर प्रवेश करेंगे और इस प्रकार यूरोपीय संघ के बाज़ार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। ये क्षेत्र शुल्क उदारीकरण और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता से लाभान्वित होने के लिए तैयार हैं, जिससे वैश्विक और यूरोपीय मूल्य श्रृंखलाओं में गहरा एकीकरण संभव होगा और साथ ही रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे। एफटीए के तहत, यूरोपीय संघ से 144 सेवा उपक्षेत्रों में व्यापक और गहन प्रतिबद्धताएँ प्राप्त की गई हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी/आईटीईएस, पेशेवर सेवाएँ, शिक्षा और अन्य व्यावसायिक सेवाएँ शामिल हैं। यह समझौता सेवाओं के व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें भारतीय सेवा प्रदाताओं को यूरोपीय संघ के बाज़ार में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्थिर और व्यापार-अनुकूल व्यवस्था मिलेगी। भारत की प्रतिस्पर्धी, ज्ञान-आधारित सेवाओं से यूरोपीय संघ के व्यवसायों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाते हुए भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुक्त व्यापार समझौता व्यावसायिक आगंतुकों, अंतर-कॉर्पोरेट स्थानांतरणकर्ताओं, संविदात्मक सेवा आपूर्तिकर्ताओं और स्वतंत्र पेशेवरों सहित पेशेवरों के लिए अस्थायी प्रवेश और प्रवास की एक सुनिश्चित व्यवस्था स्थापित करता है। एक व्यापक गतिशीलता ढांचे के माध्यम से, भारत प्रतिभा के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। यह ढांचा यूरोपीय संघ में स्थापित भारतीय निगमों के कर्मचारियों (और उनके जीवनसाथी और आश्रितों) के सभी सेवा क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाता है। यूरोपीय संघ के ग्राहकों को अनुबंध के तहत सेवाएं प्रदान करने वाली व्यावसायिक संस्थाओं के लिए, भारत आईटी, व्यवसाय और पेशेवर सेवाओं सहित 37 उप-क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। यूरोपीय संघ के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक स्वतंत्र पेशेवरों को आईटी, अनुसंधान एवं विकास और उच्च शिक्षा सहित 17 उप-क्षेत्रों में निश्चितता मिलती है, जिससे भारतीय पेशेवरों और ज्ञान-आधारित व्यापार के लिए विस्तारित अवसर सृजित होते हैं। डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली

सेवाओं के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धताएं भारत के वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के विस्तार को महत्वपूर्ण बढ़ावा देंगी और इसकी प्रमुख डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करेंगी। यह समझौता व्यापार और निवेश के लिए पूर्वानुमानित व्यवस्थाएं तैयार करता है, जिससे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत में यूरोपीय संघ के निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है और एमएसएमई सहित भारतीय उद्यमों का यूरोपीय मूल्य श्रृंखलाओं में गहरा एकीकरण होता है। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत बेहतर बाजार पहुंच से श्रम प्रधान क्षेत्रों और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। चूंकि इन क्षेत्रों में महिलाओं और ग्रामीण श्रमिकों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, इसलिए व्यापार और निवेश प्रवाह में वृद्धि से मूल्य श्रृंखला में पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है, जो समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगा।

*****